रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278096
CG-DL-E-20112026-278096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6083] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2026/कार्तिक 29, 1948
No. 6083] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2026/KARTIKA 29, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2026

का.आ. 6323(अ).— जहां कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कतिपय निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की निर्दिष्ट आय की छूट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया था;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख), अन्य *बातों के साथ-साथ,* यह प्रावधान करती है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन पश्चात 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसकी उप-धारा (4) के अधीन, निम्न को कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा-

(i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के पूर्व मे क्रियान्वयन और उसके तहत विधिवत जारी कोई आदेश या विधिवत किया गया या झेला गया कार्य ; या

(ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित या किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तारीख को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और 1 अप्रैल, 2026 के पहले प्रारम्भ होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू रहेंगे (जिनमें नोटिस, निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन, पुर्नसंगणना, त्रुटि सुधार, जुर्माना, संदर्भ, पूनरीक्षण और अपील भी शामिल है) पर और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ङ) में प्रावधान है कि किसी भी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी अदालत के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इसके शुरू होने की तारीख को लंबित कोई भी कार्यवाही, आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन या किसी अन्य माध्यम से, जारी रखी जाएगी और इसका निपटान किया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित ही नहीं किया गया था;

अतः अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए, "तेलंगाना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (पैन AAEAT9368D)", जो कि तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा: -

(क) प्राप्त उपकर;
(ख) भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों से प्राप्त/एकत्र किया गया पंजीकरण और नवीकरण शुल्क; और
(ग) बैंक जमाराशियों पर प्राप्त ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि तेलंगाना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
(ख) की गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा
(ग) 1961 के अधिनियम की धारा 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2024-25 से 2026-27 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 149 /2026 / फा.सं.300196/58/2024-आईटीए-आई]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2026

S.O. 6323(E).— Whereas, section 10 (46) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of specified income of certain bodies or authorities or Boards or Trusts or Commissions as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that section;

And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536 (1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);

And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), *inter alia*, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-

(i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or

(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;

And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1 April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;

And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the repealed Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2)(a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies, for the purposes of section 10 (46) of the Act of 1961, "Telangana Building & Other Construction Workers Welfare Board (PAN AAEAT9368D)", a Board constituted by the State Government of Telangana, in respect of the following specified income arising to that board, namely:-

(a) cess received;
(b) registration & Renewal fee received/collected from the Building and other Construction Workers; and
(c) interest received on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Telangana Building & Other Construction Workers Welfare Board:-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provisions of section 139(4C) (g) of the Act of 1961.

3. Failure to comply with these conditions shall result in the initiation of penal actions under the provisions of the Act of 1961, and withdrawal of exemption granted under section 10(46) of the Act of 1961.

4. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2024-25 to 2026-27 relevant to the financial years F.Y. 2023-24 to 2025-26.

[Notification No. 149 /2026 / F.No.300196/58/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that the interests of no person are being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application filed before the Board or Income tax Department] to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.